न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / रिव्यू प्रा.पत्र / 04 / 2019 / बाड़मेर

प्रार्थी(रेस्पोडेंट)

1. पुरखाराम पुत्र लालाराम के कायम मुकाम:–1 / क इमियों पत्नी पुरखाराम 2 / ख लक्ष्मण पुत्र पुरखाराम 3 / ग मनोज पुत्र हीराराम 4 / घ पेमाराम पुत्र हीराराम 5 / ड़ किशन पुत्र हीराराम 6 / च पप्पू पत्नी हीराराम जाति जाट निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर
2. मेहराराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थी(अपीलांटगण)

1.बालाराम पुत्र लाखाराम जाट 2.रूपाराम पुत्र पदमाराम जाट 3.रूपाराम पुत्र लाखाराम नाई 4.देवाराम पुत्र पुराराम जाट 5.विरधाराम पुत्र बालाराम जाट 6.जेठाराम पुत्र सिमरथाराम जाट जाति जाट निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील संख्या 54 / 2018 व 73 / 2018 बअनवान बालाराम बनाम पुरखाराम के कायम मुकाम वगैरा व राजस्व अपील संख्या 72 / 2018 रूपाराम नाई बनाम पुरखाराम के कायम मुकाम में रिव्यू प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 151 सी पी सी।

उपस्थित

1. वकील श्री भंवरलाल चौधरी प्रार्थीगण आवेदक की ओर से
2. वकील श्री पवन सिंहल अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से

निर्णय

दिनांक:– 26.07.2019

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 151 सी पी सी पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराया। उन्होनें बताया कि अपील संख्या 54 / 2018 अपीलांट बालाराम व अपील संख्या 73 / 2018 बालाराम व रूपाराम पुत्र पदमाराम के द्वारा पेश है, दोनों अपीलों में तथ्य अलग–अलग है। जो वाद संख्या 180 / 08 के तथ्यों के विपरीत(आऊट ऑफ रेकर्ड) पेश की गई है व अपील संख्या 72 / 2018 रूपाराम पुत्र लाखाराम जाति नाई के द्वारा पेश की गई है। इन तीनों अपीलों को समायोजित कन्सोलीटेड करने आदेश दिये बिना एक ही निर्णय से भिन्न–भिन्न तथ्यों की अपीलों का निर्णय किया गया हैं स्पष्ट विधि विरूद्ध है। अपीलांट बालाराम द्वारा अपील संख्या 54 / 2018 व 73 / 2018 अलग–अलग तारीखों में पेश की गई है व अलग–अलग निर्णय का ज्ञान होना बताया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील में सर्वप्रथम ज्ञान होना कब माना, इस का निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इत्यादि इत्यादि।

अप्रार्थी संख्या 01 से 02 तथा 04 से 06 बावजूद सम्मन/नोटिस सम्यक तामील अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 151 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायायल के एक ही निर्णय दिनांक 16.05.2012 के विरूद्ध अपीले पेश की गई। हस्तगत प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी संख्या 03(अपीलांट) अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में पक्षकार संयोजित नहीं था लिहाजा वह धारा 96 सी पी सी के आवेदन बाबत अपील अनुमति के साथ आया है। वह वादग्रस्त भूमि का खसरा संख्या 340 का सेढा पड़ौसी होने के कारण प्रभावित पक्षकार है। बालाराम द्वारा दो अपीले पेश करने से उसकी केवल एक अपील ग्रहण कर निर्णय किया जाता है तो भी आक्षेपित निर्णय की मैरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिहाजा निर्णय विधि सम्मत है। रिव्यू प्रार्थना–पत्र के अधीन वाला निर्णय पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के पश्चात किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा चुकी है इसलिए प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना–पत्र कानूनी प्रावधानों के मुताबिक अनुज्ञात नहीं है। रिव्यू प्रार्थना–पत्र नामंजूर किया जावे।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत पेश किया गया है। इसमें सी पी सी के उपबंध के अध्यधीन ही पुनर्विलोकन किया जा सकता है जिसके तहत आदेश 47 लागू होगा। आदेश 47(1) में स्पष्ट किया गया है कि निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन (1) जो कोई व्यक्ति–

(क) **किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात है किंतु जिसकी अपील नहीं की गई है।**

(ख) **किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है, कर सकता है।**

इस प्रावधान के संदर्भ में हस्तगत आवेदन में उल्लिखित निर्णय/आदेश की **अपील धारा 224 के तहत अनुज्ञात है और हस्तगत प्रकरण के संबंध में अपील माननीय राजस्व मण्डल में की जा चुकी है, जो प्रार्थी स्वयं स्वीकार करता है।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायाल हाजा द्वारा पारित निर्णय/आदेश की अपील हो चुकी है इसलिए रिव्यू अनुज्ञात नहीं है।

आदेश 47 के प्रावधान मुताबिक पुनर्विलोकन का दायरा(परिक्षेत्र) या गुंजाईश बहुत सीमित है। इसके लिए जो आधार बताये है उनमें से

पहला हस्तगत में कोई नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य का आवेदन में कोई जिक्र नहीं है।

दूसरा किसी भूल या गलती के कारण, जो अभिलेख के मुख्य पृष्ठ पर प्रकट होती हो, ऐसी कोई भूल या गलती रिव्यू के आवेदन के अधीन वाले निर्णय में दृष्टिगोचर नहीं होती।

न्यायालय हाजा के निर्णय के संबंध में जो आपत्तियाँ प्रस्तुत आवेदन में उठाई गई है उनके संदर्भ में निर्णय देखा गया। आक्षेपित तीनों अपीले अधीनस्थ न्यायालय के एक ही निर्णय/डिक्री दिनांक 16.05.2012 के विरूद्ध है जिसमें वादग्रस्त भूमि मौजा बायतू भोपजी का खेत खसरा संख्या 340 और पक्षकार समान है लिहाजा एक साथ ही निर्णय दिया है जिसमें कोई गलती दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलाधीन भूमि के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख निर्णय का समर्थन करता है कि अधिकांश भूमि का सुदीर्घ अवधि पूर्व संपरिवर्तन हो चुका है।

तहसीलदार (भू.अ.) बायतू के पत्रांक 3331 दिनांक 20.12.2017 के अनुसारः– "उक्त खसरा संख्या 340 बायतू भोपजी व बायतू चिमनजी की सरहद के निकट स्थित है जिस पर आबादी बसी होने से जरीब से पैमाईश किया जाना संभव नहीं है इस खसरे के दक्षिण में रेतीले धोरे एवं बड़े खसरे होने से पुख्ता बिंदु भी नहीं मिला सके जिससे पैमाईश की जा सके। टीम के निर्णय के अनुसार उक्त खसरा संख्या 340 की नेखमबंदी किया जाना संभव नहीं है।

मौका फर्द दिनांक 24.02.2018 में स्पष्ट किया हुआ है कि "खसरा संख्या 340 व 338 के मध्य डामर सड़क सीमा से भी बिंदु संख्या 03 का मिलान कर निशान कायम किया।" इसमे यह भी स्पष्ट किया गया "खसरा संख्या 340 आबादी क्षेत्र में स्थित होने से जरीब चलाना संभव नहीं था, जीपीएस से पैमाईश की गई "खसरा संख्या 340 मूल में से अधिकतर भूमि का बेचान होने से मौके पर आबाद मकान बन चुके है।

वादग्रस्त खसरे की भूमि के रकबे का अधिकांश भाग एक ही दिन दिनांक 05.01.1996 को विक्रय हुआ परन्तु उन सबका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद प्रार्थी

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

द्वारा प्रस्तुत नामांतकरणों एवं राजस्व रिकॉर्ड के संदर्भ में अस्पष्ट और संदिग्ध है। प्रार्थी द्वारा एक ही विक्रय विलेख से दो पृथक–पृथक खसरों 340 तथा 338 को सम्मिलित करते हुए बेचान किया है जबकि उनके मध्य मौका रिपोर्ट के मुताबिक सड़क स्थित है। उनका राजस्व रिकॉर्ड में स्पष्टतः एवं सही–सही अंकन भी संदेहास्पद है जो प्रस्तुत ग्राम बायतू भोपजी के नामांतकरण संख्या 473, 474, 476, 479, 507, 509, 515 के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है। नामातंकरण संख्या 523, 496, स्पष्ट करते है कि इस खसरे की अधिकांश भूमि रिकॉर्ड अनुसार आवासीय रूप में संपरिवर्तित है। इस तथ्य का अंकन रिव्यू के अधीन वाले निर्णय में किया हुआ है। वादग्रस्त खसरे में पूर्णरूपेण आबादी बसी जा चुकी है, यह तथ्य है। मौका रिपोर्ट दिनांक 24.02.2018 में स्पष्ट किया गया कि :– "इसी प्रकार बिंदु संख्या 03 की दूरी बायतु चवा डामर सड़क के मध्य से 33 गट्टा है बिंदु संख्या 17 से 03 की दुरी 119 गट्टा है जिसका आपस में 03 गट्टा आपस में **अन्डर लेप** रहता है। इस अण्डर लेप के कारण मौके पर भूमि खली उपलब्ध है, स्पष्ट नहीं है।

माननीय राजस्व मण्डल के निर्देश के अनुसरण में म्याद के बिंदु पर आक्षेपित निर्णय में सर्वप्रथम विचार किया जाकर निष्कर्ष दिया गया है कि "उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वकील अपीलांट द्वारा की गई देरी सद्भाविक है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया जिसे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकी अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।"

रिव्यू के लिए अन्य कोई पर्याप्त कारण न्यायालय को दृष्टि में नहीं आया है जो इसका आधार बन सके। लिहाजा वह मंजूर करने योग्य नहीं है। प्रस्तुत रिव्यू आवेदन विधि के प्रावधानों के आलोक में अनुज्ञात नहीं होने एवं समुचित आधारों एवं कारणों के अभाव में खारिज किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

26/7/19

(नखत दान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner